-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा किशोरी की हत्या करने वाले उसके सगे ममेरे भाई को 48 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.10.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा किशोरी की उसके ही सगे ममेरे भाई द्वारा हत्या करने वाले अभियुक्त को 48 घण्टें के भीतर किया गया गिरफ्तार। गौरतलब हो कि दिनांक 24.10.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम लुकतरा में एक किशोरी की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में मृतका के परिजनो से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत कर त्वरित रुप से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 27.10.2025 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम लुकतरा में एक किशोरी की हत्या करने वाला अभियुक्त बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के नीचे चहितारा रोड़ के पास खड़ा है। सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि किशोरी की मां कक्को (बुआ) के घर गया जहां पर किशोरी घर पर अकेले पाकर छेड़छाड़ शुरु करने पर किशोरी द्वारा मना किया गया और किशोरी द्वारा मां को सारी बात बताने को बोली गई. जिससे गुस्से में आकर अभियुक्त द्वारा किशोरी के दुपट्टा से गले को कसकर उसकी हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दुर्गा पुत्र बन्दरा निवासी चटगन थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 303/25 धारा103(1) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष कोत0 देहात श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी
2. उ0नि0 श्री शिवबीर सिंह
3. कां0 शैलेन्द्र यादव
4. कां0 अभिषेक मिश्रा